UPMP010025502026

Presented on : 06-06-2026
Registered on : 08-06-2026
Decided on : 24-06-2026
Duration : 0 years, 0 months, 18 days

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी
(Presided Over by Rupesh Ranjan)
Reg no 263/2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 80/2026

अंशुल शर्मा उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र भुवनेश कुमार निवासी ग्राम बालमपुर थाना औंछा व जिला मैनपुरी

............आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

.... विपक्षी।

24-06-2026

1- पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आज मेरे समक्ष पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2- स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, '' आवेदक मुंसिफ अष्टम/जे,एम. न्यायालय मैनपुरी में विचाराधीन परिवाद क्रमांक 04/2025 अंशुल शर्मा बनाम राजेश कुमार आदि थाना औंछा व जिला मैनपुरी का वादी है, जिसमें सुनवाई दिनांक 07.07.2026 नियत है व विपक्षी परीक्षण न्यायालय के रिक्त होने का लाभ उठाकर लगातार आवेदक पर मुकदमा वापसी को लेकर दबाव बनाये हुए है तथा ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। मुंसिफ अष्टम/जे,एम. न्यायालय मैनपुरी रिक्त होने के कारण परिवाद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। लिहाजा न्यायहित में एवं आवेदक के भविष्य व वर्तमान को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण न्यायालय से न्यायालय में आवेदक की उपरोक्त पत्रावली स्थानान्तरित किया जाना अति आवश्यक है।अतः प्रार्थना की गई है कि न्यायालय मुंसिफ अष्टम/जे.एम मैनपुरी में विचाराधीन परिवाद संख्या 04/2025 अंशुल शर्मा बनाम राजेश कुमार आदि थाना औंछा की पत्रावली को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।''

3- प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगायी गयी। पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अपर सिविल जज (जू.डि.) कोर्ट संख्या- 8 मैनपुरी द्वारा स्थानांतरण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपनी आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार,''परिवाद संख्या- 04/2025, अंशुल बनाम राजेश कुमार की पत्रावली अपर सिविल जज (जू.डि.) कोर्ट संख्या- 8 मैनपुरी में लम्बित है। उक्त पत्रावली विपक्षी को नोटिस हेतु नियत है। पत्रावली पर अग्रिम दिनांक 07.07.2026 नियत है। उक्त पत्रावली को

स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।''

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5- पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर होता है कि,'' परिवाद क्रमांक 04/2025 अंशुल शर्मा बनाम राजेश कुमार आदि थाना औंछा व जिला मैनपुरी की पत्रावली न्यायालय अपर सिविल जज अवर वर्ग कोर्ट नं.8/जे.एम में विचाराधीन है । उक्त न्यायालय वर्तमान में रिक्त होना कहा गया है। पत्रावली में सुनवाई हेतु दिनांक 07-07-2026 की तिथि नियत है।''वाद के सम्यक व त्वरित निस्तारण हेतु उक्त पत्रावली किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक दृष्टिगोचर होता है।

6- अतः परिवाद संख्या- 04/2025 अंशुल शर्मा बनाम राजेश कुमार आदि थाना औंछा व जिला मैनपुरी की पत्रावली न्यायालय अपर सिविल जज अवर वर्ग कोर्ट नं.8/जे.एम से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं.2 में स्थानान्तरित किया जाता है। प्रार्थना-पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

7. आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

रूपेश रंजन

दिनांक 24-06-2026

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.24 14:03:42 +0530